


3
4/16

अभिभाषक अपीलानं/रेसपो उपस्थित।
अतः पत्रावली परतो मिदम
दिनांक 10.6.16 को पेश हो।



10-6-16 अभिभाषक उमदपक उग्र / अभिभाषक रेसपो. नं 31 पक
पेश किया है कि रेसपो 3, 4, 9 का सारावाह बहुत
पहले ही चुका है। सारिवाह को बुरा कहिकास पर 08
लिफा है। अतः पत्रावली कसेट कसिकास / नमस
कामिं कमीं कसेटिकास असे।
अतः पत्रावली काते उग्रपक उग्र
दिनांक 5-8-16 को पेश हो।

5/16

~~अभिभाषक अपीलानं/रेसपो उपस्थित।
अतः पत्रावली परतो मिदम
दिनांक 10.6.16 को पेश हो।~~

5/16

पुनः प्रार्थनापत्र वीरजिंदपुरा
थादरात थारि अफि. 14.8.08 का
म.क.द प्रस्तुत उग्रने बाबत दिया गया
पुनः तारीख 10.6.16 को रेसपो नं.
3, 4, 9 के वारिकास को अपीलके सिवाई
पर न माने व म.क.द पेश न उरने बाबत
प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उग्रने पश्चात्
5.8.16 को भी उग्रत दातकामत न
तो अपस्तुत की गई न ही उग्रने प्रस्तुत
होते अ कसेट विरिवात प्रस्तुत कसेट
अतः वादी का जागडा। होत उ वादकी
म.क.द प्रस्तुत न उरने कसेट
उ(3) इतहात उपस्थित कसिकास।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
	<p>चूंकि जब रैस्पो० ने दि० 14.8.08 को प्रा० पत्र पेश किया था, उसी समय अपीलांत को मृतकों के वारि में जानघरी हो गई थी, परन्तु इतने वर्षों के अन्तराल के बाद भी अपीलांत द्वारा ना तो मृतकों के वारिसान को रैकार्ड पर लेने की कार्यवाही गई और ना ही अर्बेमेंट का खण्डन किया गया (अतः अपील अपीलांत O₂₂R₃(3), CPC के परिप्रेक्ष्य में अर्बेट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर